राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः– प.3(08)गृह–1/2024 (17966) जयपुर, दिनांकः–हस्ताक्षरित दिनांक

–:आज्ञा:–

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (साइबर खण्ड) भर्ती परीक्षा, 2024 की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान विधि विज्ञान सेवा नियम, 1979 में यथा उपबंधित सम्यक विज्ञापन के अनुसरण में निम्नांकित चयनित अभ्यर्थी को राजस्थान विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (साइबर खण्ड) के पद पर वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार उपस्थिति देने की तिथि से दो वर्ष की कालावधि के लिए परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमो के अनुसार देय स्थिर पारिश्रमिक/वेतन पर एतद् द्वारा नियुक्ति प्रदान की जाती हैः–

क्रं. सं0	मेरिट संख्या	रोल नम्बर	अभ्यर्थी का नाम	खण्ड	जन्म तिथि	वर्ग	चयन वर्ग
1.	एम–01	5562805	स्नेहा निनावे	साइबर	08.06.1996	GE, WE	GENF

स्नेहा निनावे द्वारा परिवीक्षाकाल सन्तोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त पे मेट्रिक्स लेवल संख्या–15 पर अथवा जो अभ्यर्थी पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, उनके संदर्भ में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प1(2)वित्त/नियम/2006 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार वेतन देय होगें। इनके पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगें तथा यह नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जा रही हैः –

1. उक्त नियुक्ति राजस्थान विधि विज्ञान सेवा नियम, 1979 के उपबंधों एव अपेक्षाओं के अनुसार की गई है, जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों/परिपत्रों में अधिकथित निबंधनों एवं शर्तों के अध्यधीन है।
2. सेवा में नियुक्त किये गये अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्षों के भीतर त्याग पत्र दे देता है या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है, तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की दो गुना राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि की दो गुना राशि सरकार को प्रति संदत्त करने की अपेक्षा की जायेगी, तथापि यात्रा और दैनिक भत्तों के रूप में संदत रकम वसूली योग्य नही होगी। अभ्यर्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्ध पत्र निष्पादित करेंगे।
3. प्रस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग–। अध्याय में आने वाले मामलों को छोडकर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नही होगा।
4. परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगें।
5. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)वित्त /नियम/06 दिनांक 13.03.2006, प. 14(1)वित्त/नियम/2013 पार्ट दिनांक 08. 06.2015 तथा प. 15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 (Schedule IV/Rule No 16) के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित SLP No 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।
6. दो वर्ष की परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर पे मैट्रिक्स लेवल संख्या 15 में नियमानुसार वेतन एवं उस पर अन्य भत्ते देय होगे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratnesh Kumar Sharma
Designation : Senior Deputy Secretary
Date: 2026.04.27 12:54:10 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21597135
M e-Sign

7. यदि अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन Attestation Form में उल्लेखित सभी स्थानों से प्राप्त नही हुआ है, तो उनकी नियुक्तिया सभी स्थानों से पुलिस सत्यापन प्राप्त होने तक प्रोविजनल रहेगी।
8. बकाया चरित्र सत्यापन में विलम्ब की स्थिति में इनकी नियुक्ति पूर्ण रूप से प्रोविजनल मानते हुए, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी। यदि इनके विरूद्व प्रतिकूल चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होती है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। इस संबंध में अभ्यर्थी का नियुक्ति हेतु दावा मान्य नही होगा।
9. उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तारीख वही है, जो इन्होनें परीक्षा के आवेदन पत्र में अंकित की है और जिन्हे राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकार किया गया है।
10. यदि राज्य सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परीवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नही पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष अधिकारी होने की क्षमता नही है तो सरकार इन्हे सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
11. नियुक्त अभ्यर्थी जो विवाहित है, उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र, जीवित संतान/संतानो की सूचना एवं धूम्रपान नही करने संबंधी घोषणा उपस्थिति के समय प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नही की जावेगी। दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात दो से अधिक सन्तान होने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नही है परन्तु प्रथम प्रसव से एक जीवित सन्तान है एवं पश्चातवर्ती प्रसव में एक से अधिक सन्तान होने पर ऐसी सन्तानों को इकाई माना जायेगा।
12. नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के संबंध में अभ्यर्थी को self declaration अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्व प्रतिकूल रिपोर्ट पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी। साथ ही नियमानुसार आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी ऐसे अभ्यर्थी उके विरूद्व अमल में लाई जावेगी।
13. उक्त अभ्यर्थी निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर को नियुक्ति पत्र प्राप्ति के 15 दिवस में अपनी उपस्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत कर, इस विभाग को सूचित करेंगे। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्नहस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देवें कि वे कब तक कार्यभार संभालेगें। यदि निश्चित अवधि में कार्य ग्रहण नही किया गया अथवा कोई उत्तर प्राप्त नही होने की स्थिति में यह मान लिया जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति का इच्छुक नही है और उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेगे।
14. उक्त नियुक्ति पत्र सम्बन्धित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्यधीन है।
15. उक्त नियुक्ति अभ्यर्थियों के समस्त मूल दस्तावेजों/योग्यता की जांच के अध्यधीन रहेगी ।
16. उक्त नियुक्तियां वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (साइबर खण्ड) भर्ती परीक्षा, 2024 के संबंध में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न वादकरणों के अध्यधीन रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रत्नेश कुमार शर्मा)
वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस

संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, 1112 प्रथम तल, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर।
0141-2227294, IP 2820457/Ext.-22325, 22324 Email : home.police@rajasthan.gov.in

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratnesh Kumar Sharma
Designation : Senior Deputy Secretary
Date: 2026.04.27 12:54:10 IST
Reason: Approved

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित हैः–

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय (गृह), राजस्थान, जयपुर ।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर।
5. निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपस्थिति प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थियों से उक्त आज्ञा के बिन्दु संख्या 2 में उल्लेखित बंध पत्र, बिन्दु संख्या 11 के अनुसार विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं जीवित संतान/संतानों की सूचना की सत्यापित प्रति प्राप्त करने तथा बिन्दु संख्या 15 के अनुसार समस्त दस्तावेजों का जांच करने के उपरान्त ही इनकी उपस्थिति स्वीकार की जाकर इस विभाग को तत्काल अवगत करावें। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि किसी अभ्यर्थी के पहले से ही राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान में कार्यरत होने के कारण इनके संबंध में बिन्दु संख्या 08, 09 एवं 15 के अन्तर्गत चरित्र सत्यापन की जांच से मुक्त रखा जा सकेगा।
6. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
7. निदेशक, पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. संबन्धित अधिकारी द्वारा – निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर।
10. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप–6) विभाग – उक्त नियुक्ति आदेश विभागीय वेबसाईट पर वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (Cyber Division) आदेश अप्रैल 2026 शीर्षक से अपलोड करने हेतु।
11. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस

संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, 1112 प्रथम तल, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर।
0141-2227294, IP 2820457/Ext.-22325, 22324 Email : home.police@rajasthan.gov.in

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratnesh Kumar Sharma
Designation : Senior Deputy Secretary
Date: 2026.04.27 12:54:10 IST
Reason: Approved